झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–8/न0वि0/विविध/109/2015–2262 राँची, दिनांक– 22/04/16

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' को उसके आस–पास के 15 राजस्व ग्रामों यथाः– (i) सुदना (ii) बारोलोटा (iii) रेड़मा (iv) बैरिया (v) निमिया (vi) कौड़िया (vii) सिंगराखुर्द (viii) सिंगरा कला (ix) बजराहा (x) सुआ (xi) गोरहो (xii) चियांकी (xiii) पोखराहा कला (xiv) पोखराहा खुर्द (xv) टिकुलिया की जनसंख्या–157572 होने के फलस्वरूप मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' को वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करने संबंधी **'प्रारूप आदेश'** निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के **''झारखण्ड गजट''** में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर मेदिनीनगर नगर निगम के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पलामू के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन उपायुक्त, पलामू द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' के मूल रूप में उसके आस–पास के 15 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

22.4.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/न0वि0/विविध/109/2015–2262 राँची, दिनांक– 22/04/16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे नगर निगम क्षेत्र के गठन की आशयित अधिसूचना कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिनमें से एक समाचार पत्र संबंधित क्षेत्र की जनभाषा में हो, जो वहाँ के निवासियों के लिए बोधगम्य हो।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / न0वि0 / विविध / 109 / 2015– 2262 राँची, दिनांक– 22/04/16

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / न0वि0 / विविध / 109 / 2015– 2262 राँची, दिनांक– 22/04/16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची / प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल / उपायुक्त, पलामू / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

22.4.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 1246 दिनांक – 03/05/2016

प्रतिलिपि – जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/05

कार्यपालक पदाधिकारी

नगर परिषद, मेदिनीनगर

परिशिष्ट–I

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

मेदिनीनगर नगर निगम का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–651, दि०–02.03.16 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेदिनीनगर नगर परिषद्, वर्ग–'ख' अंतर्गत प्रस्तावित मेदिनीनगर नगर निगम में समाहित होनेवाले 15 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत है:–

A. मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' का क्षेत्र

क्र०	स्थल का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)
1	नगर परिषद मेदिनीनगर, वर्ग–'ख'	189	78396

B. नगर परिषद में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

1	सुदना	191	14552
2	बारालोटा	198	14880
3	रेड़मा	188	12497
4	बैरिया	197	2685
5	निमिया	192	2171
6	कौड़िया	185	4168
7	सिंगरा खुर्द	194	3296
8	सिंगरा कला	195	1645
9	बजराहा	193	195
10	सुआ	186	6761
11	गोरहो	187	11
12	चियांकी	206	8714
13	पोखराहा कला	204	2811
14	पोखराहा खुर्द	205	4788
15	टिकुलिया	196	02
		कुल जनसंख्या :–	157572

2262 22/04/16

22.4.16

(प्रधान सचिव)

नगर विकास एवं आवास विभाग।